

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 691/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा : तनावग्रस्त आरिष्ठ प्रबंधन शाखा-11, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन,
एस टी सी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स चन्द्रा इलेक्ट्रॉनिक्स अपलायन्स प्रा0 लि0,
पता :- प्लॉट नम्बर 28, इन्द्रा कॉलोनी, पानीपेच के पास, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्री ललित धोका पुत्र श्री छगन लाल धोका,
3. श्रीमती ममता धोका पत्नी श्री ललित धोका,
4. श्री अमित धोका पुत्र श्री ललित धोका,
5. श्री आशीष धोका पुत्र श्री ललित धोका,
पता :- प्लॉट नम्बर 28, इन्द्रा कॉलोनी, पानीपेच के पास, बनीपार्क, जयपुर।
एवं फ्लेट नम्बर 101, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर डी-12, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
एवं फ्लेट नम्बर 9/845, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर-9, मालवीय नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री सतेन्द्र प्रसाद खोरानियाँ, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 05.12.2022


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री ललित धोका पुत्र श्री छगन लाल धोका के स्वामित्व की सम्पत्ति (1) प्लॉट नम्बर 28, इन्द्रा कॉलोनी, पानीपेच के पास, बनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 316.60 वर्गगज व हाईपोथिकेशन ऑफ समस्त चल सम्पत्तियाँ फर्स्ट चार्ज ओवर एन्टायर फिक्स असेट्स क्रीयेटेड आउट ऑफ बैंक फाईनेन्स (2) फ्लेट नम्बर 101, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर डी-12, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 1671 वर्गफीट (3) फ्लेट नम्बर 9/845, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर-9, मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 90.03 वर्ग मीटर को बन्धक रख कर अन्तिम नवीनीकृत दिनांक 27.12.2021 तक कुल राशि 22,30,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Security Interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 22,30,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 21,21,64,957.29/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.06.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री ललित धोका पुत्र श्री छगन लाल धोका के स्वामित्व की सम्पत्ति (1) प्लॉट नम्बर 28, इन्द्रा कॉलोनी, पानीपेच के पास, बनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 316.60 वर्गगज व हाईपोथिकेशन ऑफ समस्त चल सम्पत्तियाँ फर्स्ट चार्ज ओवर एन्टायर फिक्स असेट्स क्रीयेटेड आउट ऑफ बैंक फाईनेन्स (2) प्लेट नम्बर 101, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर डी-12, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 1671 वर्गफीट (3) प्लेट नम्बर 9/845, ग्राउण्ड प्लोर, सेक्टर-9, मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 90.03 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपूत)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर